“राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता की कार्यपालक परिषद की 128वीं बैठक का कार्यवृत्त"

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (NILD), बी.टी. रोड, बन-हुगली, कोलकाता-700090 के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 02 अप्रैल, 2026 को प्रातः 11.00 बजे हाइब्रिड मोड (भौतिक एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) द्वारा आयोजित कार्यपालक परिषद की 128वीं बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थित सदस्यगण:

1. **श्री राजीव शर्मा**, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार, [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]	-	**अध्यक्ष**
2. **श्रीमती देबोलिना ठाकुर**, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार(भौतिक रूप से उपस्थित)	-	**सदस्य**
3. डॉ. संजीव कुमार सिंह [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]	-	**सदस्य**
4. **डॉ. सत्यव्रत साहू** [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]	-	**सदस्य**
5. डॉ. ललित नारायण, निदेशक, रागदिसं, कोलकाता [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]	-	**सदस्य सचिव**

विशेष आमंत्रितगण:

6. डॉ. पतित पावन मोहंती, निदेशक,एसवीनिरतार, कटक [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]
7. डॉ. जितेंद्र शर्मा, निदेशक, पंदीदउराशादिसं, नई दिल्ली [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]
8. डॉ. सुमन कुमार, निदेशक, अयाजंरावाश्रसं, मुंबई [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]
9. श्री जी. श्रीनिवासुलु, निदेशक, राबौदिससं, सेकंदराबाद के प्रतिनिधि [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]
10. श्री सौगत बनर्जी, उप निदेशक (प्रशासन), रागदिसं, कोलकाता (भौतिक रूप से उपस्थित)
11. डॉ. अमीद इकबाल, निदेशक (प्रभारी) एवं सहायक आचार्य सह सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), रागदिसं, कोलकाता (भौतिक रूप से उपस्थित)
12. श्री प्रवीण कुमार, सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष (भौतिक चिकित्सा), रागदिसं, कोलकाता (भौतिक रूप से उपस्थित)
13. श्री ब्रतिन सरकार, लेखा अधिकारी, रागदिसं, कोलकाता (भौतिक रूप से उपस्थित)
14. श्रीमती प्रियदर्शिनी, निदेशक, सीआरसी, पटना [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]
15. श्रीमती पुष्पांजलि गुप्ता, निदेशक, सीआरसी, सिक्किम [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]
16. श्रीमती सरजू मोइरांगथेम, प्रभारी, क्षे.अ. आइजोल [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]
17. श्रीमती मिनाम पदुंग, प्रभारी, क्षे.अ. नाहरलागुन [वी.सी. (V.C.) के माध्यम से उपस्थित]

निदेशक (प्रभारी), रागदिसं, कोलकाता ने माननीय अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात, कार्यसूची के प्रत्येक बिंदु पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया तथा लिए गए निर्णय / स्वीकृत प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

128.01: **दिनांक 14.01.2026 को हाइब्रिड मोड में आयोजित रागिदसं, कोलकाता की कार्यपालक परिषद की 127वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

निर्णय:

कार्यपालक परिषद की 127वीं बैठक की कार्यवृत्त पूर्व में सभी सदस्यों को प्रेषित की गई थी। उक्त कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः किसी प्रकार की टिप्पणी के अभाव में कार्यपालक परिषद ने 127वीं बैठक की कार्यवृत्त की विधिवत पुष्टि की।

128.02: दिनांक 14 जनवरी, 2026 को हाइब्रिड मोड में आयोजित 127वीं कार्यपालक परिषद की बैठक के निर्णयों पर की गई कारवाई का प्रतिवेदन।

निर्णय: रा.ग.दि.सं. कोलकाता की 127वीं कार्यपालक परिषद की बैठक की अनुशंसाओं पर की गई कारवाई को संज्ञान में लिया गया तथा निम्नलिखित अभ्युक्तियों के साथ उनकी पुष्टि की गई -

- कार्यसूची संख्या 127.06 पर कार्यपालक परिषद ने निर्देशित किया कि आयु में शिथिलता से संबंधित AIIMS रायपुर से लिखित अभिस्वीकृति प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए, ताकि आगे आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
- कार्यसूची संख्या 127.10 पर कार्यपालक परिषद ने यह अभिमत व्यक्त किया कि यह विषय सभी राष्ट्रीय संस्थानों (NIs) से संबंधित नीतिगत प्रकृति का है। अतः प्रस्ताव से संबंधित समस्त प्रासंगिक अभिलेख मंत्रालय को आगे की दिशा-निर्देश हेतु प्रेषित किए जाएँ।
- कार्यसूची संख्या 127.16 पर कार्यपालक परिषद ने संज्ञान लिया कि पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव, 2026 के संदर्भ में लागू आचार संहिता के कारण रागदिसं, कोलकाता के स्थापना दिवस समारोह (पूर्व निर्धारित तिथि 16.04.2026) को स्थगित कर मई अथवा जून, 2026 में (उपयुक्तता के अनुसार) आयोजित किया जाएगा। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डॉ. वीरेंद्र कुमार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा तथा राज्य मंत्रीगण श्री रामदास अठावले एवं श्री बी. एल. वर्मा, सचिव, दि.स.वि. तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
- कार्यसूची संख्या 127.18 पर कार्यपालक परिषद ने निर्देश दिया कि रागदिसं कोलकाता में समूह 'ग' एवं समकक्ष पदों की रिक्तियों की पूर्ति हेतु मंत्रालय को पूर्व में प्रेषित पत्र के संदर्भ में शीघ्र अनुस्मारक भेजा जाए।

128.03: रागदिसं, कोलकाता में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने विचार-विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्देश दिए :

1. सभी राष्ट्रीय संस्थानों (NIs) एवं सीआरसी(CRCs) में शुल्क संरचना की एकरूपता सुनिश्चित की जाए।
2. शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव के समर्थन में यथोचित औचित्य, आवश्यक अभिलेख एवं प्रस्तावित वृद्धि के आधार/गणना सहित एक सम्यक् एवं सुविचारित प्रस्ताव तैयार किया जाए।
3. कार्यपालक परिषद ने यह निदेशित किया कि इसे अनुमोदनार्थ परिचालन माध्यम से कार्यपालक परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।"

128.04: शैक्षणिक सत्र 2026–2027 से भौतिक चिकित्सा में स्नातक (BPT) एवं व्यावसायिक चिकित्सा में स्नातक (BOT) पाठ्यक्रम हेतु NCAHP के दिशा-निर्देशों को अपनाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय

कार्यपालक परिषद ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया तथा उसे अनुमोदित किया।

128.05: रागदिसं, कोलकाता एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीआरसी/आरसी के दिनांक 15.03.2026 को समाप्त तिमाही की संपूर्ण वित्तीय स्थिति का प्रस्तुतीकरण ।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने प्रस्तुत वित्तीय स्थिति पर विचार किया तथा उसे संज्ञान में लिया।

128.06: संस्थान के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथी हेतु अस्पताल में भर्ती के दौरान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वर्तमान सुविधा को पुनर्स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार ।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया तथा निर्देशित किया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक N-2206/55/2020-NI (E 13230), दिनांक 15.07.2025 के संदर्भ में विभाग से यह स्पष्ट किया जाए कि क्या CS (MA) Rules, 1944 के अंतर्गत उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएँ संस्थान के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके जीवनसाथी को अस्पताल में भर्ती के दौरान प्रदान की जा सकती हैं। साथ ही, यह भी निर्देशित किया गया कि मंत्रालय से आगे के निर्देश प्राप्त होने तक वर्तमान चिकित्सा सुविधा यथावत जारी रखी जाए।

128.07: रा.ग.दि.सं., कोलकाता में समेकित पारिश्रमिक एवं पूर्णतः संविदा के आधार पर निदर्शक (कृत्रिम अंग प्रत्यंग) के 01 पद की भर्ती नियमावली के संशोधन/पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने संबंधित परिषद / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Dopt) के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के उपरांत उसे अनुमोदित किया।

128.08: कृत्रिम अंग प्रत्यंग (P&O) विभाग में नैदानिक सेवाओं, निर्माण सुविधाओं एवं प्रशिक्षण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक पूंजीगत उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। उक्त खरीद की समस्त प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR) के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

128.09: अयाजंरावाश्रसं (AYJNISHD) एवं राबौदिससं (NIEPID), कोलकाता के क्षेत्रीय केंद्रों हेतु बाह्य-स्रोत जनशक्ति एवं सुरक्षा सेवाओं की प्रतिपूर्ति तथा भुगतान प्रक्रिया के सुव्यवस्थितीकरण संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने मंत्रालय के पत्रांक-N-2206/63/2024-NI, दिनांक 13.01.2025 के अनुपालन में रागदिसं, कोलकाता द्वारा की गई कार्रवाई को संज्ञान में लिया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि अगस्त, 2025 से मार्च, 2026 की अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त निधि आवंटन के लिए मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया जाए (अतिरिक्त निधि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–'क' में संलग्न है)।

इसके अतिरिक्त निदेशक, एवं सदस्य सचिव रागदिसं द्वारा माननीय अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद से अनुरोध किया गया कि संबंधित राष्ट्रीय संस्थान अपने कोलकाता स्थित क्षेत्रीय केंद्रों हेतु सेवा प्रदाताओं को दिनांक 01.04.2026 से प्रत्यक्ष भुगतान करें, जिससे रागदिसं पर मध्यवर्ती वित्तीय भार समाप्त हो सके। उक्त अनुरोध पर विचार करते हुए माननीय अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद ने निर्देश दिया कि इस विषय को मंत्रालय के समक्ष आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाए।

128.10: **सीआरसी सिक्किम असम लिंग्ज़े में, सिक्किम सरकार के विद्युत विभाग द्वारा थ्री-फेज विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित लागत के प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने विषय पर विचार-विमर्श किया तथा निर्देश दिया कि एल्मिको को पत्र प्रेषित किया जाए, जिससे सीआरसी सिक्किम में थ्री-फेज विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु होने वाले व्यय का वहन सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि वर्तमान में कृत्रिम अंग प्रत्यंग (P&O) विभाग पीएमडीके-एल्मिको (PMDK, ALIMCO) के अंतर्गत कार्यरत है।

साथ ही सीआरसी सिक्किम के निदेशक को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य हेतु सिक्किम सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावनाओं का भी अन्वेषण किया जाए।

128.11: सीआरसी सिक्किम द्वारा पाक्योंग जिला में "दिव्यांगजन हेतु आयोजित पर्पल फेयर 2025" के अंतर्गत किए गए व्यय के संबंध में सुझाव एवं मार्गदर्शन के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने विषय पर विचार-विमर्श किया तथा सीआरसी सिक्किम को निर्देश दिया कि "दिव्यांगजन हेतु आयोजित पर्पल फेयर 2025" से संबंधित अपूर्ण दस्तावेज़ तथा संक्षिप्त प्रतिवेदन रा.ग.दि.सं., कोलकाता को प्रेषित करें, ताकि उन्हें मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा सके।

128.12: **सीआरसी एसआरई त्रिपुरा के वाचिक एवं श्रवण इकाई हेतु पोर्टेबल साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रिक बूथ की खरीद के प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय:

कार्यपालक परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। उक्त खरीद की समस्त प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR) के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

128.13: सीआरसी पटना में संचालित पुनर्वास मनोविज्ञान (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी) PGDRP में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं कृत्रिम अंग प्रत्यंग (B.P.O.) में स्नातक पाठयक्रमों हेतु शुल्क संरचना निर्धारण के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्देश दिए :

1. पुनर्वास मनोविज्ञान (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी) PGDRP में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रस्तावित शुल्क संरचना को अनुमोदित किया गया।
2. कृत्रिम अंग प्रत्यंग (B.P.O.) में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु निर्देश दिया गया कि शुल्क संरचना रागदिसं, कोलकाता के अनुरूप रखी जाए।

128.14: सीआरसी पटना में संचालित एवं भा.पु.प.(RCI) द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने विचार विमर्श के उपरांत निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. सभी राष्ट्रीय संस्थानों (NIs) एवं सीआरसी(CRCs) की शुल्क संरचना में एकरूपता होनी चाहिए ।
2. यह निर्देशित किया गया कि समान पाठ्यक्रम संचालित करने वाले राष्ट्रीय संस्थानों (NIs)/सी.आर.सी. (CRCs) से प्राप्त तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव को पुनरीक्षित किया जाए।
3. कार्यपालक परिषद द्वारा यह निर्देशित किया गया कि उक्त को कार्यपालक परिषद से अनुमोदनार्थ परिचालन माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

128.15: सी.आर.सी. (CRC) पटना में पुनर्वास मनोविज्ञान (रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी) PGDRP में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं कृत्रिम अंग प्रत्यंग (B.P.O.) में स्नातक पाठयक्रम हेतु संकाय सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद ने विषय पर विचार-विमर्श किया तथा आरसीआई (RCI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को अनुमोदित किया। साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि उक्त पदों की पूर्ति हेतु वास्तविक वित्तीय प्रभाव का आकलन कर प्रस्ताव को मंत्रालय के समक्ष अतिरिक्त निधि की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए।

128.16: सीआरसी (CRC) पटना में संचालित पाठ्यक्रमों में दिव्यांगजन के बच्चों एवं सहोदर को शुल्क की छूट को लागू करने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

128.17: सीआरसी (CRC) पटना में GAIT विश्लेषण प्रयोगशाला के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। उक्त खरीद की समस्त प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR) के प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।

कार्यसूची 128.18: सामान्य शीर्ष के अंतर्गत सहायता अनुदान की कमी को आंतरिक स्रोतों से अर्जित आय के माध्यम से पूरा करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदनार्थ।

निर्णय:

कार्यपालक परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरांत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ यह बैठक संपन्न हुई।

****

कार्यसूची सं.128.09

अनुलग्नक - क

क्षे.अ. - अयाजंरावाश्रसं,कोलकाता

क्र.सं	माह	एम/एस क्यू सिक्योरिटी सर्विसेज		एम/एस यूनिक सिक्योरिटी एवं इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रा. लि.		टिप्पणियाँ
		जनशक्ति सेवाएँ	बिल राशि (₹)	सुरक्षा सेवाएँ	बिल राशि (₹)	
1	अगस्त 2025	हाउसकीपिंग कार्मिक –04 लिफ्टमैन – 01	148963.00	कुल 12 पद चौबीसों घंटे	250173.00	अयाजंरावाश्रसं एवं राबौदिससं की सुरक्षा सेवाएँ 50:50 हिस्सेदारी पर
2	सितंबर 2025		137424.00		244788.00	
3	अक्टूबर 2025		139089.00		265706.00	
4	नवंबर 2025		149227.00		243502.00	
5	दिसंबर 2025		152447.00		251947.00	
6	जनवरी 2026		148396.00		259131.00	
7	फ़रवरी 2026		138076.00		223272.00	
8	मार्च 2026		117147.00		266305.00	
	कुल		**1130769.00**	कुल	**2004824.00**	-
	कुल योग		**₹ 3135593.00**			सुरक्षा + जनशक्ति

क्षे.अ.- राबौदिससं,कोलकाता

क्र.सं	माह	एम/एस क्यू सिक्योरिटी सर्विसेज		एम/एस यूनिक सिक्योरिटी एवं इंडस्ट्रियल सर्विसेज प्रा. लि.		टिप्पणियाँ
		जनशक्ति सेवाएँ	बिल राशि (₹)	सुरक्षा सेवाएँ	बिल राशि (₹)	
1	अगस्त 2025	एम.टी.एस.-02	41574.00	कुल 12 पद चौबीसों घंटे	250173.00	अयाजंरावाश्रसं एवं राबौदिससं की सुरक्षा सेवाएँ 50:50 हिस्सेदारी पर
2	सितंबर 2025		34732.00		244788.00	
3	अक्टूबर 2025		39120.00		265706.00	
4	नवंबर 2025		47939.00		243502.00	
5	दिसंबर 2025		53003.00		251947.00	
6	जनवरी 2026		50978.00		259131.00	
7	फ़रवरी 2026		46928.00		223272.00	
8	मार्च 2026		97367.00		266305.00	
	कुल		**411641.00**	कुल	**2004824.00**	-
	कुल योग		**₹ 2416465.00**			सुरक्षा + जनशक्ति